रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 219] No. 219]

मई विल्ली, मंगलवार, जून ९, १९९८/ ज्येष्ठ १९, १९२० NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 1998/JYAISTHA 19, 1920

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 1998

सा. का. नि. 342(अ). — केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का गुजरात अधिनियम सं. 19) का, जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित ठपांतरणों के अधीन रहते हुए, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :---

- 1. भारतीय वन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का गुजरात अधिनियम सं. 19) में,——
 - (क) ''राज्थ'' या ''गुजरात राज्य'' शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, ''दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं. ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हैं;
- 2. धारा 1 में,
 - (1) उपधारा (1) में, ''इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम'' शब्दों के पश्चात् ''दादरा और नागर हवेली संब राज्यक्षेत्र में यथा विस्तारित'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे; और
 - (2) उपधारा (2) के स्थान पर निम्निखित उपधारा रखी जाएगी; अर्थात् :--"(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।"
- 3. धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (क) में और धारा 9 में, ''राज्य सरकार की संपत्ति'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार की संपत्ति'' शब्द रखे जाएंगे:
 - 4. धारा 11 का लोप किया जाएगा

[सं. यू.-11015/8/95 यूटीएल-(189)] पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपार्वध

गुजरात राज्य में प्रवृत्त और दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित भारतीय वन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का गुजरात अधिनियम सं. 19)। 1635 GI/98 (1)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 का गुजरात राज्य को लागू होने में संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौतीसर्वें वर्ष में निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है:---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित भारतीय वन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1983 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 1927 के अधिनियम 16 की धारा 52 का संशोधन : दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र की लागू होने में भारतीय वन अधिनियम, 1927, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 52 में,—
- (1) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थृपित की जाएगी, अर्थात् :--
 - "(1क) कोई बन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई यान किसी ऐसी वन उपज के परिवहन के लिए प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है, जिसकी बाबत यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वन विषयक अपराध किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसे यान के ड्राइवर या प्रभारी अन्य व्यक्ति से यान को रोकने की अपेक्षा कर सकेगा और उसे तब तक रोके रख सकेंगा जो यान की अंतर्वस्तुओं की परीक्षा करने और ऐसे ड्राइवर या यान के प्रभारी अन्य व्यक्ति या यान में कोई अन्य व्यक्ति के कब्जे में वन-उपज से संबंधित सभी अभिलेखों के निरीक्षण के लिए समुचित रूप से आवश्यक हो।";
 - (2) उपधारा (2) में, ''ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगाः'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट,—
 - (क) जहां कोई अपराध, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, ऐसी वन-उपज के बारे में है जो केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है या जिसके बारे में प्रशासक का कोई हित है, वहां धारा 61क के अधीन संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को; और
 - (ख) अन्य मामलों में, उस अपराध का जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को,भेजेगा''।
- 3. 1927 के अधिनियम 16 की धारा 53 का संशोधन : मूल अधिनियम की धारा 53 में, ''उन्हें उनके स्वामी द्वारा ऐसे बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''उन्हें उनके स्थामी द्वारा ऐसे बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर धारा 61छ के अधीन रहते हुए निर्मुक्त कर सकेगा'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
 - 4. 1927 के अधिनियम 16 की धारा 54 का लोप किया जाना : मूल अधिनियम की धारा 54 का लोप किया जाएगा।
- 5. 1927 के अधिनियम 16 की धारा 55 का संशोधन : मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) में, ''अधिहरणीय होंगे'' शब्दों के स्थान पर ''धारा 61(छ) के अधीन रहते हुए अधिहरणीय होंगे'' शब्द, अंक और अक्षर रखे आएंगे।
- 6. 1927 के अधिनियम 16 की धारा 56 का संशोधन : मूल अधिनियम की धारा 56 में, ''और किसी अन्य दशा में,'' शब्दों के स्थान पर ''और किसी अन्य दशा में, धारा 61छ के अधीन रहते हुए'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- 7. 1927 के अधिनियम 16 की धारा 57 का संशोधन : मूल अधिनियम की धारा 57 में, ''कोई अपराध किया गया है तो वह'' शब्दों और अक्षर के स्थान पर ''कोई अपराध किया गया है तो वह, धारा 61छ के अधीन रहते हुए'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
 - 8. 1927 के अधिनियम 16 की धारा 58 का संशोधन : मूल अधिनियम की धारा 58 में,---
 - (1) ''मजिस्ट्रेट, धारा 52 के अधीन अभिगृहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील संपत्ति के विक्रय के लिए इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निदेश दे सकेगा'' शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर ''वह वन अधिकारी, जिसने धारा 52 के अधीन अभिग्रहण किया है, धारा 52 के अधीन अभिगृहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील संपत्ति का विक्रय इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कर सकेगा'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
 - (2) अन्त में निम्निलिखित ओड़ा जाएगा, अर्थात् :--"और प्रत्येक ऐसे विक्रय के बारे में रिपोर्ट पदीय विरिष्ठ को देगा"।
- 9. 1927 के अधिनियम 16 में नई धाराएं 61क, 61ख, 61म, 61म, 61म, 61म और 61म का अन्तः स्थापन : मूल अधिनियम में, धारा 61 के परचात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
 - "61क. कितपय मामलों में वन अधिकारी द्वारा अधिहरण। (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई वन-उपज, जिसके बारे में यह विश्वास है कि वन-विषयक अपराध हुआ है, केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है, वहां धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी बिना किसी अनुचित विलम्ब के उसे ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त सब औजार, रस्से, जंजीरें, नावें, यान और पशुओं के साथ, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी के समक्ष पेश करेगा, जो सहायक वनपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकृत अधिकारी'' कहा गया) की पंक्ति से नीचे का न हो।

- जहां प्राधिकृत अधिकारी, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसी वन-उपज का अभिग्रहण करता है जो केन्द्रीय सरकार (2) की सम्पत्ति है या जहां ऐसी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश की जाती है और उसका यह समाधान हैं। जाता है कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में वन विवयक अपराध किया गया है तो ऐसा प्राधिकृत अधिकारी, चाहे ऐसे वन विषयक अपराध के करने के लिए अभियोजन संस्थित किया गया है या न किया गया हो, इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति का ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त सब औजारों, रस्सों, जंजीरों, नौकाओं, यानों और पशुओं के साथ अधिष्ठरण करने का आदेश दे सकेगा।
- (क) जहां प्राधिकृत अधिकारी की उपधारा (2) के अधीन, अधिकरण का आदेश पारित करने के पश्चात् यह राय है कि ऐसा (3)करना लोक हित में समीचीन होगा तो वह, अधिहत सम्पत्ति या उसके किसी भाग को लोक नीलाम द्वारा विक्रय करने का आदेश दे सकेगा।
 - (ख) यदि किसी अधिद्वत सम्पत्ति का पूर्वोक्त रूप से विक्रय किया जाता है वहां उसके आगमों का संदाय, ऐसी किसी नीलामी के व्ययों या उससे संबंधित अन्य आनुवंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात् , धारा 61क के अधीन किए गए अधिहरण करने का कोई आदेश धारा 61ग या धारा 61घ के अधीन किसी आदेश द्वारा अपास्त कर दिया जाता है या बातिल कर दिया जाता है वहां उसके स्वामी को या ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जिससे वह अभिगृहीत की गई थी, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। धारा 61क के अधीन अधिहरण करने से पहले कारण बताओ सूचना का दिया जाना : (1) धारा 61क के अधीन किसी वन-उपज या औजार, रस्से, जंजीरें, नौकाओं, यानों या पशुओं को अधिहरण करने का कोई आदेश, ऐसे व्यक्ति को जिससे इनका अधिग्रहण किया जाता है, उन आधारों की जानकारी देते हुए जिन पर उनका अधिहरण करने का प्रस्ताव है, लिखित सूचना देने के और उसके आक्षेपों पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु यह कि किसी मोटर यान के अधिहरण करने का कोई आदेश उसके रिजस्ट्रीकृत स्वामी को लिखित में सूचना देने के पश्चात्, यदि प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना साध्य है और उसके आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई है, किया जाएगा अन्यथा नहीं।

- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई औजार, रस्से, जंजीरें, नौका, यान या पशु का अधिहरण करने वाला कोई आदेश, धारा 61क के अधीन नहीं किया जाएगा, यदि औजार, रस्सा, जंजीर, नौका, यान या पशु का स्वामी प्राधिकृत अधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह सामित कर देता है कि इनका उपयोग स्वयं स्वामी, उसका अधिकर्ता, यदि कोई है, की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना ही वन-उपज के ले जाने भें किया गया था और औजार, रस्सा, जंजीर, नौका, यान या पशु का भारसाधक कोई व्यक्ति और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपयोग के विरुद्ध सभी उचित और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती थीं।
- पुनरीक्षण : राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त वनपाल से अन्यून पंक्ति का कोई वन 61 ग अधिकारी धारा 61क के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की तारीख़ से तीस दिन के अवसान पर, स्वमेव उस आदेश को मंगा संकेगा और अभिलेखों की परीक्षा कर संकेगा तथा ऐसी जांच कर संकेगा या ऐसी जांच करा संकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसको सुनवाई का अवसेर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

- भारा 61क या भारा 61ग के अभीन पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के उसे संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर उस सत्र न्यायाधीश को जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर है जिसमें वह सम्पत्ति अभिगृहीत की गई थी , जिससे संबंधित यह आदेश है, अपील कर सकेगा और सत्र न्यायाधीश, अपीलार्थी और, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या धारा 61ग के अधीन विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट करने वाला, उपान्तरण करने वाला या बातिल करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन सत्र न्यायाधीश का कोई आदेश अन्तिम होगा और किसी विधि के न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया
- अधिहरण का अधिनिर्णय अन्य दण्ड में माधा नहीं डालेंगा : धारा 61क, धारा 61ग या धारा 61घ के अधीन किसी अधिहरण के 61জ अधिनिर्णय कोई दण्ड अधिरोपित किए जाने से निवारित नहीं करेगा जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।
- अधिहत सम्पत्ति कब सरकार में निहित होगी: जब किसी सम्पत्ति के अधिहरण के लिए आदेश धारा 61क या 61ग या धारा 61घ 61 च के अधीन पारित कर दिया गया हो, और ऐसा आदेश सम्पूर्ण या ऐसी सम्पत्ति के किसी भाग के बारे में अन्तिम हो गया हो जो,

61ख

61 ष

यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति या उसका भाग अथवा यदि उसका धारा 61क की उपधारा (3) के अधीन विक्रय कर दिया गया हो तो उसके विक्रय आगम सभी विल्लंगमों से मुक्त केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगे।

- कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन: जब कभी, केन्द्रीय सरकार की कोई वन-उपज या किसी अपराध के करने में प्रयुक्त कोई 61醇. औजार, रस्सा, जंजीर, नौका, यान या पशु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किया जाता है तब धारा 61क के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या धारा 61ग के अधीन विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी या धारा 61घ के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला सत्र न्यायाधीश को, ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा, कब्जा, परिदान, व्ययन या वितरण के इस संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और इस अधिनियम में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अन्य अधिकारी, न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को कोई अधिकारिता नहीं होगी''।
- 1927 के अधिनियम 16 की धारा 68 का संशोधनः मूल अधिनियम में, धारा 68 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, ''जब कोई 10. सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिगृहीत की गई है" शब्दों के स्थान पर "जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते धारा 61छ के अधीन रहते हुए अभिगृहीत की गई है'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. यू-11015/8/95-यू टी एल-(189)] पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 1998

G.S.R. 342(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, the Indian Forest (Gujarat Amendment) Act, 1983 (Gujarat Act No. 39 of 1983), as in force in the State of Gujarat on the date of this Notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

- 1. In the Indian Forest (Gujarat Amendment) Act, 1983 (Gujarat Act No. 19 of 1983),
 - for the words "State" or "State of Gujarat" wherever they occur, the words "Union Territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted;
 - for the words "State Government", wherever they occur, the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made such consequential changes as the rules of grammar may require:
- 2. in section 1,
 - after sub-section (1) the words "as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be (1)
 - for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-(2)"(2) It shall come into force at once.";
 - in section 2, sub-section (2), clause (a), and in section 9, for the words "property of the State Government", the words "property of the Central Government" shall be substituted;
 - section 11 shall be omitted. 4.

[No. U-11015/8/95-UTL-(189)] P.K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

The Indian Forest (Gujarat Amendment) Act, 1983 (Gujarat Act No. 19 of 1983) as in force in the State of Gujarat and as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

An Act to amend the Indian Forest Act, 1927, in its application to the State of Gujarat.

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:---

- Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Indian Forest (Gujarat Amendment) Act, 1983 as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli. (2) It shall come into force at once.
- Amendment of section 52 of Act XVI of 1927.—In the Indian forest Act, 1927, in its application to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli (hereinafter referred to as "the principal Act") in section 52,-
- after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted namely :-(1)

"(1A) Any Forest Officer or Police Officer may, if he has reason to believe that a vehicle has been or is being used for the transport of forest produce in respect of which there is reason to believe that a forest offence has been or is being committed, require the driver or other person in charge of such vehicle to stop the vehicle and cause it to remain stationary as long as may reasonably be necessary for examination of the contents in the vehicle and inspection of all records relating to the forest produce and in possession of such driver or other person in charge of the vehicle or any other person in the vehicle.";

(2) in sub-section (2), for the words "make a report of such seizure to the magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made" the following shall be substituted, namely:—

"make a report of such seizure,-

- (a) where the offence on account of which the serizure has been made in respect of the forest produce which is the property of the Central Government or in respect of which the Administrator has any interest, to the concerned authorised officer under section 61A; and
- (b) in other cases, to the magistrate having jurisdiction to try the offsence on account of which the seizure has been made:"
- Amendment of section 53 of Act XVI of 1927.—In the principal Act, in section 53, for the words and figures
 "under section 52, may, release" the words, figures and letter "under section 52, may, subject to section 61G
 release" shall be substituted.
- 4. Delection of section 54 of Act XVI of 1927.—In the principal Act, section 54 shall be deleted.
- Amendment of section 55 of Act XVI of 1927.—In the principal Act, in section 55, in sub-section (1) for the
 words "shall be liable" the words, figures and letter "shall subject to section 61G be liable" shall be substituted.
- 6. Amendment of section 56 of Act XVI of 1927.—In the principal Act, in section 56 for the words "in any other case may be disposed" the words, figures and letter "in any other case may, subject to section 61G, be disposed" shall be substituted.
- 7. Amendment of section 57 of Act XVI of 1927.—In the principal Act, in section 57, for the words "that an offence has been committed" the words, figures and letter "that an offence has been committed, subject to section 61G", shall be substituted.
- Amendment of section 58 of Act XVI of 1927.—In the principal Act, in section 58,—
 - (1) for the words "The Magistrate may notwithstanding anything herein before contained, direct the sale of" the words and figures "The Forest Officer who made the seizure under section 52 may, notwithstanding anything contained in this Act or any other law, sell" shall be substituted;
 - (2) the following shall be added at the end, namely:— "and shall report about every such sale to his official superior".
- Insertion of new sections 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 61F and 61G in Act XVI of 1927.—In the principal Act, after section 61, the following sections shall be inserted namely;—
 - "61A. Confiscation by Forest Officers in certain cases.—(1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Chapter or in any other law for the time being in force, where a forest offence is believed to have been committed in respect of any forest produce which is the property of the Central Government, the officer seizing the property under sub-section (1) of section 52 shall without any unreasonable delay produce it, together with all tools, ropes, chains, boats, vehicle and cattle used in committing such offence, before an officer authorised by the Central Government in this behalf by notification in the Official Gazette, not being below the rank of an Assistant Conservator of Forest (herinafter referred to as "the authorised officer").
 - (2) Where the authorised officer seizes under sub-section (1) of section 52 any forest produce which is the property of the Central Government or where any such property is produced before the authorised officer under sub-section (1) and he is satisfied that a forest offence has been committed in respect of such property, such authorised officer may whether or not a prosecution is instituted for the commission of such forest offence, order confiscation of the property so seized together with all tools, ropes, chains, boats, vehicles and cattle used in committing such offence.
 - (3) (a) where the authorised officer, after passing an order of confiscation under sub-section (2), is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may, order the confiscated property or any party thereof to be sold by public action.

1635 lu198-1

- (b) Where any confiscated property is sold as aforesaid, the proceeds thereof, after deduction of the expenses of any such action or other incidental expenses, relating thereto, shall, where the order of confiscation made under section 61A is set aside or annulled by an order under section 61C or 61D, be paid to the owner thereof or to the person from whom it was seized as may be specified in such order.
- 61B. Issue of show cause notice before confiscation under section 61A.— (1) No order confiscating any forest produce or tools, ropes, chains, boats, vehicles or cattle shall be made under section 61A except after notice in writing to the person from whom it is seized informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate it and considering his objections, if any:
 - Provided that no order confiscating a motor vehicle shall be made except after giving notice in writing to the registered owner thereof, if in the opinion of the authorised officer it is practicable to do so and considering his objections, if any.
 - (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), no order confiscating any tool, rope, chain, boat, vehicle or cattle shall be made under section 61A if the owner of the tool, rope, chain, boat, vehicle or cattle proves to the satisfaction of the authorised officer that it was used in carrying forest produce without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the tool, rope, chain, boat, vehicle or cattle and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use.
- 61.C. Revision.—Any forest Officer not below the rank of Conservator of Forests specially empowered by the Central Government in this behalf by notification in the Official Gazette may, before the expiry of thirty days from the date of the order of the authorised officer under section 61A, suo moto call for and examine the records of that order and may make such inquiry or cause such inquiry to be made and may pass such orders as he deems fit:
 - Provided that no order prejudicial to a person shall be passed under this section without giving him an opportunity of being heard.
- 61D. Appeal.—(1) Any person aggrieved by any order passed under section 61A or section 61C may, within thirty days from the date of communication to him of such order, appeal to the Sessions Judge having jurisdiction over the area in which the property to which the order, relates has been seized and the Sessions Judge shall, after giving an opportunity of being heard to the appellant and the authorised officer or the officer specially empowered under section 61C as the case may be, pass such order as he may think fit confirming, modifying or annulling the order appealed against.
 - (2) an order of the Sessions Judge under sub-section (1) shall be final and shall not be questioned in any court of law.
- 61E. Award of confiscation not interefere with other punishment.—The award of any confiscation under section 61A or 61C or 61D shall not prevent the infliction of any punishment which the person affected thereby is liable under this Act.
- 61F. Property confiscated when to vest in Government.—When an order for confiscation of any property has been passed under section 61A or 61C or 61D and such order has become final in respect of the whole or any portion of such property, such property or portion thereof or if it has been sold under sub-section (3) of section 61A the sale proceeds thereof as the case may be, shall vest in the Central Government free from all encumbrances.
- 61G. Bar of jurisdiction in certain cases.—Whenever any forest produce belonging to the Central Government or any tool, rope, chain, boat, vehicle or cattle used in committing any offence is seized under subsection (1) of section 52, the authorised officer under section 61A or the officer specially empowered under section 61C or the Sessions Judge hearing an appeal under section 61D shall have and, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or in any other law for the time being in force, any other officer, court, tribunal or authority shall not have, jurisdiction to make orders with regard to the custody, possession, delivery, disposal or distribution of such property".
- Amendment of section 68 of Act XVI of 1927.—In the principal Act, in section 68, in sub-section (1), in clause (b), after the words "as liable to confiscation" the words, figures and letter "subject to section 61G" shall be inserted.

[F. No. U-11015/8/95-UTL-(189)] P. K. JALALI, Jt. Secy.